राजस्थान पुलिस

AGREEMENT

In consideration of the Governor of Rajasthan, having agreed to appoint me as a Sub-Inspector in the Police Department.

I,-----------------------------------Son of ----------------------------------- hereby agree and undertake to :-

i) Serve in the Police Department for a period of not less than five years with effect from the date of completion of my training.

ii) carry out all duties entrusted to me and all lawful orders given to me by my superiors in rank.

iii) refund the cost of training in addition to the pay and allowances received by me in the event of tendering my resignation from the force for any reason or reasons what so over during period of my training or thereafter during the aforesaid period of five years and

iv) If I wish to resign before the expiry of the training period and five years thereafter I will submit my request in writing and will not withdrawn from my duties until I am duly relieved.

2. I understand and agree that my services can be terminated :-

a) by the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of my training or probation.

b) by the Appointing Authority on my failure to pass the final examination of the initial training course.

Note:- The term pay and allowance used in clause (iii) above means the usual pay and allowances received by or accrued to him upto the date of his resignation.

Witness :

Signature of the Employee
Date-----------------------------
for and on behalf of the
Governor of Rajasthan.

Signature-----------------------------
Designation-----------------------------
Date-----------------------------
Place-----------------------------

ACCEPTED

(THE Appointing Authority)

शपथ पत्र

(केवल अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए)

मैं पुत्र/पुत्री श्री आयु

जाति निवासी

शपथ पूर्वक निम्न कथन करता/करती हूँ :–

यह है कि मैं अविवाहित (पुरूष/महिला) हूँ।

शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ गृहिता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि शपथ पत्र के चरण संख्या 1 में दिये गये कथन सही है तथा इसमें मैने किसी तथ्य को नहीं छिपाया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथ गृहिता

शपथ पत्र

(केवल विवाहित पुरूष अभ्यर्थियों के लिए)

मैं पुत्र श्री आयु

जाति निवासी

शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ :–

1. यह है कि मेरे एक ही जीवित पत्नि है,
2. यह है कि मैंने अपने विवाह में दहेज नहीं लिया था,
3. यह है कि वर्तमान में मेरे दो या कम बच्चे हैं। या मेरे बच्चों की संख्या दिनांक 01.06.2002 को जितनी थी उतनी ही है, उसमें तत्पश्चात वृद्धि नहीं हुई है। या दिनांक 01.06.2002 को मेरे बच्चों की संख्या दो से कम थी और उसके पश्चात उसकी संख्या में जो वृद्धि हुई है वह एक ही प्रसव के फलस्वरूप हुई है जिसके कारण बच्चा की संख्या दो से अधिक हो गई है।
4. यह है कि अंतिम प्रसव से पूर्व मेरे बच्चो की संख्या दो से कम थी परन्तु दिनांक 1–6–2002 के बाद अन्तिम प्रसव से एक से अधिक बच्चे होने के कारण मेरे बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई है ।

(नोटः–जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाए)

शपथ गृहिता

<u>सत्यापन</u>

मैं उपरोक्त शपथ गृहिता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि शपथ पत्र के चरण संख्या 1 से 4 में दिय गये सभी कथन सही हैं तथा इसमें मैने किसी तथ्य को नहीं छिपाया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथ गृहिता

शपथ पत्र

(केवल विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए)

मैं पत्नि श्री आयु

जाति निवासी

शपथपूर्वक निम्न कथन करती हूँ :–

1. यह है कि मेरे विवाह के समय मेरे पति की कोई अन्य जीवित पत्नि नहीं थी,
2. यह है कि मैंने अपने विवाह में दहेज नहीं लिया था,
3. यह है कि वर्तमान में मेरे जीवित बच्चों की संख्या दो या उससे कम है। या मेरे बच्चों की संख्या दिनांक 01.06.2002 को जितनी थी उतनी ही है, उसमें तत्पश्चात वृद्धि नहीं हुई है। या दिनांक 01.06.2002 को मेरे बच्चों की संख्या दो से कम थी और उसके पश्चात उसकी संख्या में जो वृद्धि हुई है वह एक ही प्रसव के फलस्वरूप हुई है जिसके कारण बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई है।
4. यह है कि अंतिम प्रसव से पूर्व मेरे बच्चो की संख्या दो से कम थी परन्तु दिनांक 1–6–2002 के बाद अन्तिम प्रसव से एक से अधिक बच्चे होने के कारण मेरे बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई है ।

(नोटः–जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाए)

शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ गृहिता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि शपथ पत्र के चरण संख्या 1 से 4 में दिये गये सभी कथन सही हैं तथा इसमें मैने किसी तथ्य को नहीं छिपाया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथ गृहिता

उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर (केडिट्स)के लिए सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित सामान्य निर्देश पहले से प्रसारित पुलिस मुख्यालय के ज्वाईनिंग निर्देशों के अतिरिक्त लागू होंगे :-

1- उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर (कैडिट्स) अपनी आमद(उपस्थिति) रिपोर्ट व्यक्तिगत रुप से मय तिथि एवं समय के संचित निरीक्षक, प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे।

2- केडिट्स की आवासीय व्यवस्था प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जाएगी इस आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

3- केडिट्स के परिवार एवं उनके मेहमानों को प्रशिक्षण संस्थान में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी केडिट स्कूटर,कार एवं ऑटोसाईकिल अपने पास नहीं रखेगा।

4- सभी केडिट्स को प्रशिक्षण संस्थान के कार्य संचालन के नियम, विनियम तथा स्थाई आदेशों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा। सभी केडिट्स ऐसे नियमों/विनियमों तथा स्थाई आदेशों की पालना हर समय करेगें। केडिट्स से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अवधि के दौरान जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुशासन एवं शिष्टाचार का प्रदर्शन करेंगे तथा केडिट्स हमेशा निर्धारित वेशभूषा में रहेंगे। बनियान एवं लुंगी में घूमना पूर्णतः निषिद्ध है।

5- आउटडोर एवं इन्डोर कक्षाऐं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित स्थान पर चलाई जाएंगी।

6- केडिट्स को प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में रहना आवाश्यक है ।केडिट्स को पास प्राप्त करने के उपरान्त ही कुछ समय के लिए परिसर छोडने की अनुमति रहेगी। विशेष परिस्थितियों में परिसर छोडने के पास केवल संचित निरीक्षक द्वारा ही जारी किये जाएगें तथा पास के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों की अनुपस्थिति से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा।

7- केडिट्स को विशेष आपातकालीन स्थिति यथा केड्सि के बच्चे/माता/पिता के निधन की स्थिति को छोड़कर किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। केडिट्स को सलाह दी जाती है कि वे प्रशिक्षण अवधि में सगाई एवं विवाह आदि का आयोजन न करें।

8- केडिट्स के लिए प्रशिक्षण संस्थान परिसर में प्रशिक्षण अवधि में मदिरापान करना सख्त मना है एवं प्रशिक्षण की कक्षाओं तथा परेड ग्राउण्ड में धूम्रपान पूर्णतःनिषिद्ध है। केडिट्स से उच्च स्तर के चरित्र एवं आचरण की अपेक्षा की जाती है।

9- केडिट्स को अपना खाता पोस्ट ऑफिस/बैंक में खोल लेना चाहिए तथा अनावश्यक रुप से नकद राशि साथ नहीं रखनी चाहिए।

10- केडिट्स के लिए होस्टल के अतिरिक्त आवासीय क्षेत्र में प्रवेश निषेध होगा।

11- केडिट्स से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी ज्ञानवृद्धि हेतु प्रशिक्षण संस्थान परिसर में स्थित पुस्तकालय का उपयोग करेंगे ।

12- मनोरंजन कक्ष का उपयोग ठीक ढंग से तथा टी0वी0 का संचालन सावधानी पूर्वक किया जाए। सभी केडिट्स मनोरंजन कक्ष में निर्धारित वेशभूषा में प्रवेश करेंगे।

13- प्रशिक्षण संस्थान परिसर में दोनों प्रकार की ड्राई एवं वेट कोपरेटिव केन्टीन उपलब्ध हैं केडिट्स कोआपरेटिव स्टोर के सदस्य बन सकते हैं।

14- सभी केडिट्स(उ0नि0/प्लाटून कमाण्डर)को निम्नांकितानुसार राशि जमा करानी है:-

(1)अ- रु0 2,000/- कॉपरेटिव स्टोर में यूनिफार्म सामान के लिए।

ब- रु0 1000/- मैस अग्रिम।

स- रू0 500/- अन्य विविध मासिक फण्ड।

15- महिला केडिट्स को हिदायत है कि वे अपने साथ कोई कीमती जेवरात आदि नहीं रखें।

16- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के लिए मोबाईल फोन का उपयोग निषेध रहेगा।

17- आवासीय सुविधा निःशुल्क है।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाध्य सरकार कर्मचारी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बन्ध-पत्र का प्रारूप ड्राफ्ट बॉण्ड

यह बन्ध-पत्र आज दिनांक .... माह........ सन 200..... को एक पक्ष के .... पद पर नियुक्त श्री ....पुत्र श्री...................... निवासी ....(जो इसमें आगे एतद पश्चात "प्रशिक्षार्थी" कहलावेगा) और दूसरे पक्ष के प्रथम जामिन श्री ....पुत्र श्री .... निवासी .... एवम् द्वितीय जामिन श्री .... पुत्र श्री .... निवासी ....(जिन्हे इसमें आगे एतद पश्चात सामूहिक रूप से जामिन कहा जायेगा) की ओर से राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिन्हें आगे एतद पश्चात सरकार कहा जायेगा) के पक्ष में लिखा गया।

चूंकि सरकार ने प्रशिक्षार्थी को .... पद पर नियुक्ति हेतु चुना है।

और चूंकि नियमानुसार यह आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थी को उस पद पर का स्वतंत्र रूप से प्रभार सम्भालने से पूर्व जिसके लिए उसे चुना गया है .... की अवधि का प्रशिक्षण.............. और चूंकि सरकार इसमें आगे एतद पश्चात दी हुई शर्तो पर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण में भेजने के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ सहमत हो गई है कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तो का पूर्णतः पालन करने के लिए जामिन मजानत देंगें,

और चूंकि जामिन प्रशिक्षार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए जमानत देने को सहमत हो गये हैं।

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्षी है कि-

(1) कि सरकार के प्रशिक्षणार्थी को.............................के पद पर नियुक्ति हेतु चयन करने तथा नियमानुसार उसके प्रशिक्षणा की व्यवस्था करने के विचार से एवम् कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी एतद द्वारा सरकार के साथ संविदा करता है कि ऐसे प्रशिक्षणा के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूरे होने के बाद दो वर्ष के भीतर वह उपयुक्त कथित पद जिसके लिए कि वह चुना गया है, से न तो त्याग पत्र देगा और जिस पद के लिए वह चुना गया है, उससे अतिरिक्त न किसी अन्य पद पर नियोजित ही होगा।

(2) कि उपयुक्त कथित विचार को ध्यान में रखकर और कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद द्वारा सहमत हैं कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूरा होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर यदि प्रशिक्षणार्थी त्याग पत्र देता है या उक्त अनुच्छेद (1) का उल्लघन करते हुए कहीं और नियोजित होता है तो प्रशिक्षणार्थी और जामिन पृथक- पृथक रूप से और सामूहिक रूप से वह समस्त राशि सरकार को वापस अदा करेंगे जो सरकार प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी को देती है, इसके साथ वे सब अन्य खर्चे भी सरकार को लौटायेगें जो इसमें सरकार को करने पड़े। किन्तु, इसमें प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी को दी गई यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते की राशि शामिल नही होगी;

बशर्ते कि प्रशिक्षणार्थी और जामिनों को प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान दी हुई वह राशि तब तक नहीं लौटानी पडेगी जब सरकार की राय में प्रशिक्षणार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध होता हुआ जान पड़े।

इसी के साक्ष्य स्वरूप यह बन्ध-पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनों द्वारा उपयुक्त अंकित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया है-

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी..........................

साक्षी..........................

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी..........................

साक्षी..........................

द्वितीय जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी..........................

साक्षी..........................

4 प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जामिनों के पास अचल सम्पत्ति
5 है और उस अचल सम्पत्ति का मूल्य .... रूपये से कम नहीं है।

6

कलक्टर/सहायक कलक्टर/
परगनाधिकारी/तहसीलदार
के हस्ताक्षर

विशेष ध्यान देने हेतु-इस प्रमाण पत्र में जो राशि भरी जाये वह उस समस्त अनुमानित राशि से कम नहीं होनी चाहिए जो सरकार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान
7. प्रशिक्षणार्थी को दी गई थी।